Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164] Stamp Duty Appeal No.- 72/2024

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

[Stamp Duty Appeal No.- 72/2024]

Md. Nazir & Anr. ....Petitioner.

Versus

The State of Bihar through Collector, Araria ....Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	18.7.2025	**आदेश** यह Stamp Duty अपील वाद समाहर्त्ता, अररिया के कमी मुद्रांक वसूली वाद संख्या-17/2023 में दिनांक-23.1.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। समाहर्त्ता, अररिया की ओर से जवाब दाखिल है। दिनांक-03.7.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों- वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि समाहर्त्ता, अररिया के अपीलाधीन आदेश द्वारा जिला अवर निबंधक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन के आधार पर निबंधित भूमि बाजार मूल्य से कम पाये जाने के पर प्रश्नगत संपत्ति का बाजार मूल्य 22,79,794/- रू0 निर्धारित करते हुए पूर्व में चुकाये गये 13,020/- रू0 को घटाकर शेष 1,23,768/-रू0 मुद्रांक शुल्क अदा करने तथा 10% Penalty वसूली का आदेश दिया गया। अपीलार्थी को विक्रय दस्तावेज में अंकित मूल्य को सही साबित करने तथा अपने पक्ष को रखने हेतु पूर्ण अवसर दिया गया। किन्तु अपीलार्थी की ओर से निबंधित जमीन के कम मुद्रांक शुल्क तथा जाँच प्रतिवेदन में अंकित Findings को Negate करने हेतु कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। निम्न न्यायालय (समाहर्त्ता, अररिया) के स्तर से जिला अवर निबंधक, अररिया के स्थलीय जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय (समाहर्त्ता, अररिया) के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में जिला अवर निबंधक, अररिया के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश (23.1.2024) पारित किया गया है। निम्न न्यायालय आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। Raj K. 18/7/2025. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया लेखापित एवं शुद्धित। Raj K. 18/7/2025. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त न्यायालय ★ ★ पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया	